माननीय न्यायधीश सूर्यकांत जी के समक्ष

श्री राम अवतार, - याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन व अन्य, - प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1990 की संख्या 5244

27 फरवरी, 2008

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 - एस. 8-ए - पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) भवन नियम, 1952 - आरएल 2 - बूथ के लिए व्यापार का संकेत देने वाला आवंटन पत्र फल और सब्जी' - इसके बाद आने वाले कन्वेयंस डीड में यह निर्धारित किया गया था कि हस्तांतरिती उक्त साइट का उपयोग 'व्यावसायिक उद्देश्य' के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा - कन्वेयंस डीड की शर्तें आवंटन पत्र की एकतरफा शर्तों से अधिक हैं - 'व्यावसायिक उद्देश्य' - में परिभाषित RI.2 का सीएल.(xvi) - केवल फल और सब्जी के व्यापार के लिए बूथ का उपयोग न करने से नियमों और शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं - 'आभूषण की दुकान' के रूप में उपयोग करने के लिए बूथ को फिर से शुरू करने में उत्तरदाताओं की कार्रवाई कानून में टिकाऊ नहीं है - याचिका स्वीकार की गई , बहाली के आदेश रद्द कर दिए गए।

यह अभिनिर्धारित किया गया है की जिस समय आवंटी और संपदा अधिकारी ने 'कन्वेयंस डीड' पर हस्ताक्षर किए, यानी 28 जुलाई, 1959 को, बूथ साइट का उपयोग करने के विवेक का दायरा बढ़ा दिया गया और इसे किसी भी 'व्यावसायिक उद्देश्य' के लिए कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, जब तक विषय बूथ का उपयोग 1952 के नियमों के नियम 2 के खंड (xvi) के तहत परिभाषित किसी 'व्यावसायिक उद्देश्य' के लिए किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि विषय बूथ का उपयोग फलों के व्यापार के लिए नहीं किया जाएगा और केवल सब्जी, आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

यदि यह इरादा होता, तो सुविधा विलेख में खंड (9) को शामिल करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इसके अभाव में भी, खंड 1 (ए) बूथ के उपयोगकर्ता को केवल फल और सब्जी के व्यापार के लिए सुरक्षित और प्रतिबंधित कर सकता है।

(पैरा 19)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि 'कन्वेयंस डीड' में कोई विशिष्ट व्यापार निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिसे पार्टियों के बीच बाद के समय में निष्पादित किया गया था और जिसका 'आवंटन पत्र' में लगाई गई एकतरफा शर्तों पर अधिभावी प्रभाव होगा। 'आवंटी या याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई, कि विषय बूथ को 'आभूषण की दुकान' के रूप में मुकदमा करके इसका दुरुपयोग किया गया है, कानून में कायम नहीं रह सकती।

(पैरा 26)

न्यायमूर्ति सूर्यकांत (मौखिक)

(1) इस सिविल रिट याचिका में, याचिकाकर्ता 30 नवंबर, 1983 के नोटिस (अनुलग्नक पी-5) और 2 मई, 1984 के आदेश (अनुलग्नक पी-) को रद्द करने की मांग करता है। 6), 31 अक्टूबर, 1989 (अनुलग्नक पी-9), 17 जनवरी, 1990 (अनुलग्नक पी-11) और 2 फरवरी 1990 (अनुलग्नक पी-12) जिससे बूथ संख्या 57, सेक्टर 19-सी, चंडीगढ़, जो आवंटित किया गया था प्रतिवादी संख्या 3 को, फिर से शुरू कर दिया गया है और फिर से शुरू करने के उक्त आदेश के खिलाफ की गई अपील/पुनरीक्षण आदि को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं को उपरोक्त बूथ को फिर से शुरू न करने और उसे वहां से बेदखल न करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

(2) तथ्यों पर संक्षेप में गौर किया जा सकता है।

(3) बूथ संख्या 57, सेक्टर 19-सी, चंडीगढ़ (संक्षेप में, विषय बूथ) की साइट प्रतिवादी संख्या 3 को आवंटित की गई थी।चंडीगढ़ प्रशासन ने 23 मई, 1955 को अपने ज्ञापन के तहत रुपये की बिक्री पर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

विचार किया। 5,300 (छूट के बाद 4,770 रुपये)। आवंटन पत्र (अनुलग्नक आर-1) के खंड 8 में यह निर्धारित किया गया था कि बूथ का उपयोग किसी भी उद्देश्य जैसे कि तंदूर आदि के लिए आग के उपयोग की आवश्यकता के लिए नहीं किया जाएगा और उस बूथ का उपयोग मार्जिन में दर्शाए गए व्यापार के लिए किया जा सकता है। जो "फल और सब्जी" था। खंड 11 में प्रावधान है कि बूथ की बिक्री पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 (संक्षेप में '1952 अधिनियम') और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन थी। "8. बूथ का उपयोग आग के उपयोग के लिए आवश्यक किसी भी उद्देश्य जैसे तंदूर, रेस्तरां, हलवाई की दुकान के लिए नहीं किया जाएगा और न ही कार्यशाला के रूप में या फर्नीचर या साइकिल मरम्मत की दुकान के निर्माण या बिक्री के लिए किया जाएगा। वह विशिष्ट व्यापार जिसके लिए बूथ का उपयोग किया जा सकता है, मार्जिन में दर्शाया गया है। 11. बिक्री पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। (जोर दिया गया)

(4) संपूर्ण बिक्री प्रतिफल के भुगतान पर, 28 जुलाई, 1959 को चंडीगढ़ प्रशासन और तीसरे प्रतिवादी के बीच कन्वेयंस-डीड निष्पादित की गई (अनुलग्नक पी-1)। कन्वेयंस डीड के खंड 1 (ए) में यह प्रावधान है कि ट्रांसफ़री को कब्जे और आनंद का अधिकार तब तक मिलेगा जब तक वह बिक्री के नियमों और शर्तों के अनुरूप है। इसी तरह, खंड 4 में प्रावधान है कि "हस्तांतरणकर्ता आवंटन आदेश जारी होने की तारीख से पांच साल के भीतर, अर्थात् 15 फरवरी, 1955 को उक्त स्थल पर वाणिज्यिक भवन का निर्माण पूरा करेगा, xxx xxx xxx xxx।" इसी तरह, खंड 9 आगे इस प्रकार प्रदान करता है: - "(9) हस्तांतरिती उक्त साइट का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा और न ही वह उस पर निर्मित भवन का उपयोग इसके अनुसार किसी अन्य उद्देश्य के लिए करेगा। पंजाब सरकार (विकास और विनियमन) अधिनियम के नियम। 1952. '' (जोर दिया गया)

(5) याचिकाकर्ता को वर्ष 1964 में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विषय बूथ में एक किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि अपनी किरायेदारी की शुरुआत से ही, वह उक्त बूथ में "आभूषण" का व्यवसाय चला रहा है। "मैसर्स" का नाम और शैली। स्टैंडर्ड ज्वैलर्स।"

(6) 28 जुलाई 1980 को, प्रतिवादी संख्या 3 के साथ-साथ याचिकाकर्ता को 1952 अधिनियम की धारा 8-ए के तहत एक नोटिस दिया गया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया था कि चूंकि विषय बूथ को निर्दिष्ट व्यापार के लिए आवंटित किया गया था। फल और सब्जी" और उसका

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

उपयोग "आभूषण की दुकान" चलाने के लिए किया जा रहा था, यह "संवहन विलेख" में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन है और इसलिए, बूथ साइट फिर से शुरू करने योग्य थी। कहा जाता है कि याचिकाकर्ता ने 26 अगस्त, 1980 को उपरोक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया था। इसके बाद, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई आगे की कार्रवाई नहीं की गई।

(7) इस बीच, प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ एक बेदखली याचिका दायर की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि मकान मालिक और किरायेदार के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण, पूर्व ने बूथ साइट के कथित दुरुपयोग के संबंध में संपत्ति कार्यालय में शिकायत की थी। याचिकाकर्ता-किरायेदार. सहायक संपदा अधिकारी, यू.टी., चंडीगढ़ ने, इसलिए, 1952 अधिनियम की धारा 8-ए के तहत 30 नवंबर, 1983 (अनुलग्नक पी -5) को दूसरा नोटिस जारी किया, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 और याचिकाकर्ता को यह बताने के लिए कहा गया कि बूथ क्यों बंद किया गया। साइट को फिर से शुरू नहीं किया जाएगा क्योंकि इसका उपयोग किसी अन्य व्यापार के लिए किया जा रहा था, जिसके लिए इसे कन्वेंस-डीड के खंड 9 के आधार पर आवंटित किया गया था।

(8) हालांकि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का विरोध किया, तथापि, 2 मई, 1984 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के तहत, संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ ने तीसरे प्रतिवादी की ओर से ली गई याचिका के मद्देनजर बूथ साइट को फिर से शुरू कर दिया। "किरायेदार द्वारा किया गया दुरुपयोग उसकी सहमति के बिना है।"

(9) याचिकाकर्ता ने 1952 अधिनियम की धारा 10 के तहत बहाली आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसे हालांकि, मुख्य प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 31 अक्टूबर, 1989 (अनुलग्नक पी-9) द्वारा खारिज कर दिया था। . उन्होंने प्रशासक, यू.टी., चंडीगढ़ के सलाहकार के समक्ष भी एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसे भी पुनरीक्षण प्राधिकरण ने दिनांकित आदेश के तहत खारिज कर दिया।22 जनवरी, 1990 (अनुलग्नक पी-11) याचिकाकर्ता या उसके वकील की अनुपस्थिति में और संपदा अधिकारी की 16 जनवरी, 1990 की एक रिपोर्ट पर भरोसा करने के बाद कि विचाराधीन बूथ अभी भी "आभूषण" के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। दुकान"।

(10) इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी पुनरीक्षण याचिका को बहाल करने और गुण-दोष के आधार पर उस पर निर्णय लेने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे भी सलाहकार ने 2 जनवरी, 1990 को (अनुलग्नक पी-12) यह देखने के बाद खारिज कर दिया कि पुनरीक्षण याचिका

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया गया था, बल्कि गुण-दोष के आधार पर इसका निपटान किया गया था क्योंकि निर्मित वाणिज्यिक साइट का अभी भी दुरुपयोग किया जा रहा था। तदनुसार यह माना गया कि पुनरीक्षण याचिका की बहाली के लिए आवेदन विचारणीय नहीं था।

(11) व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका को प्राथमिकता दी है जिसमें अंतरिम आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1990 द्वारा विवाद में संपत्ति की बहाली पर रोक लगा दी गई थी।

(12) मैंने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

(13) भवन स्थलों की बिक्री, उनके डिज़ाइन के साथ-साथ विभिन्न प्रयोजनों के लिए भवन स्थलों का उपयोग, 1952 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसकी धारा 8-ए किसी भी साइट या भवन या दोनों को फिर से शुरू करने और जब्त करने का अधिकार देती है यदि हस्तांतरित व्यक्ति प्रतिफल राशि या उसकी किसी किस्त का भुगतान करने में विफल रहता है या यदि वह "ऐसी बिक्री की किसी भी अन्य शर्तों का उल्लंघन करता है।" धारा 8-ए इस प्रकार है:- "8-ए. स्थानांतरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए बहाली और जब्ती।–(1) यदि कोई अंतरिती धारा 3 के तहत किसी साइट या भवन या दोनों की बिक्री के कारण प्रतिफल राशि या उसकी कोई किस्त का भुगतान करने में विफल रहा है या उल्लंघन किया है ऐसी बिक्री की किसी भी अन्य शर्तों के लिए, संपदा अधिकारी, लिखित रूप में नोटिस देकर, अंतरिती को यह कारण बताने के लिए कह सकता है कि साइट या भवन, या दोनों, जैसा भी मामला हो, को फिर से शुरू करने का आदेश क्यों दिया जाए, और पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए या उसके संबंध में भुगतान किए गए धन का कोई भी हिस्सा, यदि कोई हो, किसी भी स्थिति में नहींसाइट या भवन या दोनों की बिक्री के संबंध में देय प्रतिफल राशि, ब्याज और अन्य देय राशि की कुल राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। "

(14) पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) भवन नियम, 1952 (संक्षेप में 1952 नियम) 1952 अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए हैं।

(15) जब 23 मई, 1955 (अनुलग्नक आर-एल) के आवंटन पत्र के माध्यम से प्रतिवादी नंबर 3 को विषय बूथ आवंटित किया गया था, तो उसके खंड 11 में यह विशेष रूप से निर्धारित किया गया था कि बिक्री 1952 अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। 28 जुलाई, 1959 को पार्टियों के बीच निष्पादित 'संवहन विलेख' (अनुलग्नक पी-1) में भी, खंड 10 के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

प्रदान किया गया था कि "हस्तांतरिती राजधानी के तहत बनाए गए या जारी किए गए सभी नियमों और आदेशों को स्वीकार करेगा और उनका पालन करेगा।" पंजाब (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952।"

(16) यह सच है कि आवंटन पत्र दिनांक 23 मई, 1955 (अनुलग्नक आर-एल) में, जिसे अधिकारियों द्वारा एकतरफा जारी किया गया था, बूथ साइट के लिए व्यापार को "फल और सब्जी" के रूप में दर्शाया गया था। हालाँकि, 28 जुलाई, 1959 के डीड ऑफ कन्वेयंस में, जिस पर दोनों पक्ष सीमांत गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षरकर्ता हैं, यह विशेष रूप से खंड -9 में निर्धारित किया गया था कि "हस्तांतरिती उक्त साइट का उपयोग इसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।" व्यावसायिक प्रयोजन के लिए xxx xxx xxx।"

(17) यद्यपि अभिव्यक्ति "व्यावसायिक उद्देश्य" को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, नियमों के नियम 2(xv) में 'भवन की श्रेणी' को निम्नलिखित चार श्रेणियों में से एक में भवन के रूप में परिभाषित किया गया है:- (ए) आवासीय भवन . (बी) वाणिज्यिक भवन। (सी) गोदाम और औद्योगिक भवन। (डी) सार्वजनिक भवन। इसी प्रकार, नियम 2 का खंड (xvi) वाणिज्यिक भवन को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है "प्रयुक्त या निर्मित या उपयोग के लिए अनुकूलित भवन"पूरी तरह या मुख्यतः दुकानों, कार्यालयों, बैंकों या अन्य समान उद्देश्यों के लिए या कारखानों के अलावा अन्य उद्योगों के लिए (और इसमें मोटर गैरेज शामिल होंगे जहां सामान्य मरम्मत की जाती है)।

(18) यदि कोई 1952 के नियमों के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति "वाणिज्यिक भवन" की पृष्ठभूमि में आवंटन पत्र (अनुलग्नक आर-एल) को कन्वेयंस-डीड (अनुलग्नक पी-1) के साथ पढ़ता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आवंटन के समय वर्ष 1955 में साइट के बारे में, संपदा अधिकारी ने आबंटिती को बूथ का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए करने से प्रतिबंधित कर दिया था, जिसमें आग के उपयोग की आवश्यकता होती है जैसे कि तंदूर, रेस्तरां, हलवाई की दुकान, न ही कार्यशाला के रूप में या फर्नीचर या साइकिल मरम्मत के निर्माण या बिक्री के लिए। दुकान।" हालाँकि, उन्होंने "संकेत" दिया कि बूथ का उपयोग "फल और सब्जी" के व्यापार के लिए किया जा सकता है। यह संपदा अधिकारी द्वारा लिया गया एकतरफा निर्णय था।

(19) हालाँकि, उस समय जब आवंटी और फ़ाइल एस्टेट अधिकारी ने 'कन्वेयंस डीड' पर हस्ताक्षर किए, यानी 28 जुलाई, 1959 (अनुलग्नक पी-1) पर, बूथ साइट का उपयोग करने के विवेक का दायरा बढ़ा

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

दिया गया और इसे किसी भी "वाणिज्यिक" के लिए बना दिया गया। उद्देश्य"। दूसरे शब्दों में, जब तक विषय बूथ का उपयोग 1952 के नियमों के नियम 2 के खंड (xvi) के तहत परिभाषित किसी भी "व्यावसायिक उद्देश्य" के लिए किया जाता है, तब तक यह नहीं कहा जा सकता है कि फल के व्यापार के लिए विषय बूथ का उपयोग नहीं किया जाएगा और केवल सब्जी, आवंटी ने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया है। इस आशय के अनुसार, सुविधा विलेख में खंड (9) को शामिल करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसके अभाव में भी, खंड 1 (ए), बूथ के उपयोगकर्ता को केवल व्यापार के लिए सुरक्षित और प्रतिबंधित कर सकता था। 'फल और सब्जी'।

(20) इसके अलावा, 23 मई, 1955 (अनुलग्नक आर-एल) के आवंटन पत्र के खंड 8 की व्याख्या करना बहुत मुश्किल होगा, जिसका अर्थ यह है कि विषय बूथ का उपयोग केवल फल और सब्जी के व्यापार के लिए किया जा सकता है। संपदा अधिकारी ने कई प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बूथ के उपयोग पर रोक लगाते हुए केवल उस व्यापार की प्रकृति का संकेत दिया था जिसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। बाद में, उक्त संकेतित व्यापार को हस्तांतरण विलेख (अनुलग्नक पी-1) में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था, बल्कि एक व्यापक और उदार शब्द यानी "वाणिज्यिक उद्देश्य" पर पार्टियों के बीच सहमति हुई थी।

(21) यह न्यायालय इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं हो सकता कि वर्ष 1964 से याचिकाकर्ता द्वारा विषय बूथ का उपयोग 'आभूषण की दुकान' के रूप में किया जा रहा है। 16 वर्षों तक, चंडीगढ़ प्रशासन ने साइट के कथित दुरुपयोग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। . जुलाई, 1980 में जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में वास्तव में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यह केवल वर्ष 1983 में मकान मालिक-किरायेदार विवाद के परिणामस्वरूप था जब तीसरे प्रतिवादी द्वारा शिकायत की गई थी कि कार्यवाही फिर से शुरू की गई थी शुरू किया। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि इलाके के निवासियों ने फल और सब्जी के व्यापार के लिए विषय बूथ का उपयोग न करने के खिलाफ प्रशासन से कभी कोई शिकायत की हो, जिससे उन्हें सेवा में कोई कमी हुई हो। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लंबी सहमति भी याचिकाकर्ता के इस तर्क को मजबूत करती है कि हस्तांतरण के विलेख में शामिल अभिव्यक्ति "व्यावसायिक उद्देश्य" का आधिकारिक उत्तरदाताओं द्वारा हमेशा यह अर्थ लगाया गया है कि विषय बूथ का उपयोग किसी भी वैध व्यावसायिक गतिविधि के लिए किया जा सकता है। .

<u>अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।</u>

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

(22) उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, उन्होंने 2007 की सिविल अपील संख्या 4450 (नगर निगम, चंडीगढ़ और) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 20 सितंबर, 2007 के फैसले पर भरोसा किया है। अन्य बनाम विपीन कुमार जैन)। यह एक ऐसा मामला था जहां 4 सितंबर, 1996 को एक खुली नीलामी में एक दुकान-सह-फ्लैट आवंटित किया गया था और आवंटी को कई अवसर दिए जाने के बावजूद, वह वार्षिक किस्तों का भुगतान करने में विफल रहा, जो 4 सितंबर, 1997, 4 सितंबर, 1998 को देय थी। और 4 सितंबर, 1999। आवंटी को 27 नोटिस देने के बाद, आवंटन रद्द कर दिया गया और 1 जून 2002 को साइट फिर से शुरू की गई। आवंटी ने 2 साल की अवधि के बाद एक अपील दायर की जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने उसे भुगतान करने का निर्देश दिया। एक महीने के भीतर बकाया राशि का 25%। हालाँकि, उन्होंने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उनकी अपील भी खारिज कर दी गई। इसके बाद, जब साइट दोबारा नीलामी के लिए निर्धारित की गई, तो उन्होंने सी.डब्ल्यू.पी. दायर की। इस न्यायालय के समक्ष 2004 की संख्या 938 जिसमें उन्हें सबसे पहले रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था। 10 लाख, इसके बाद रुपये की एक और जमा राशि। एक महीने के अंदर 15 लाख रु. आवंटी ने फिर से चूक कर दी। आवंटियों द्वारा की गई लगातार चूक को ध्यान में रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य ने कहा कि "हमारे विचार में, प्रतिवादी को भुगतान करने के पर्याप्त अवसर दिए गए थे।"इसलिए, देरी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब प्रतिवादी वर्षों के बाद ब्याज और मूलधन का भुगतान करने की पेशकश करता है तो यह कीमत निर्धारित करने के समान होता है जिसे अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(23) इसी प्रकार, ज्योत्सना कोहली बनाम के मामले में। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य (1), बहाली आदेश अंतिम रूप ले चुका था और इसे ध्यान में रखते हुए, उनके आधिपत्य ने याचिकाकर्ता को 1960 नियमों के नियम 11 (डी) के तहत साइट के पुन: आवंटन की मांग करने की स्वतंत्रता के साथ मामले का निपटारा कर दिया। .

(24) आई.जे. के मामले में. गांधी बनाम संपदा अधिकारी, चंडीगढ़ और अन्य (2), आवंटन 1960 के नियम लागू होने के बाद किया गया था। वहां, दुकान-सह-फ्लैट को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा "रेस्तरां उद्देश्यों" के लिए बेचा गया था, हालांकि, इमारत को पंजाब राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को पट्टे पर दिया गया था। आवंटित स्थल के दुरुपयोग के कारण, 1952 अधिनियम की धारा 8-ए के तहत कार्यवाही शुरू की गई और बाद में 15 अक्टूबर, 1992 को पुनः आरंभ आदेश पारित किया गया। इस

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा

बीच, सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू की गई और एक बेदखली आदेश पारित किया गया जिसके खिलाफ आवंटी की अपील भी विफल हो गई। इसके बाद, उन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जब यह ध्यान में लाया गया कि आवंटन आदेश को आवंटी द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी, तो इस मामले को इस न्यायालय द्वारा यह कहते हुए निपटाया गया कि "22 जनवरी, 1993 को जारी अधिसूचना के मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन 1952 अधिनियम की धारा 4 के तहत, जो एक आवंटी को व्यापार में बदलाव के लिए आवेदन करने में सक्षम बनाता है, परिणामस्वरूप, उपरोक्त अधिसूचना के संदर्भ में और व्यापार में बदलाव की स्थिति में, आवंटी को आवेदन करने की स्वतंत्रता दी गई थी। उसके इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया कि वह परिसर का उपयोग केवल रेस्तरां प्रयोजनों के लिए करना जारी रखेगा, (जोर दिया गया)।

(25) जैसा कि देखा जा सकता है, चंडीगढ़ प्रशासन ने अब 22 जनवरी 1993 को एक नीति अधिसूचित की है, जिसमें आवंटी द्वारा कुछ शुल्कों के भुगतान के अधीन व्यापार में बदलाव की अनुमति दी गई है।

(26) उपरोक्त चर्चा के आलोक में, यह माना जाता है कि चूंकि 'डीड ऑफ कन्वेयंस' में कोई विशिष्ट व्यापार निर्दिष्ट नहीं किया गया था, जिसे पार्टियों के बीच बाद के समय में निष्पादित किया गया था और जिसका एकतरफा शर्तों पर अधिभावी प्रभाव होगा। 'आवंटन पत्र' में आवंटी या याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई का आरोप लगाया गया है कि विषय बूथ को 'आभूषण की दुकान' के रूप में उपयोग करके इसका दुरुपयोग किया गया है, जो कानून में कायम नहीं रह सकता है।

(27) नतीजतन, रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और विवादित नोटिस दिनांक 30 नवंबर, 1983 (अनुलग्नक पी-5) और आदेश दिनांक 2 मई, 1984 (अनुलग्नक पी-6), 31 अक्टूबर, 1989 (अनुलग्नक पी-9), 17 जनवरी, 1990 (अनुलग्नक पी-11) और 2 फरवरी, 1990 (अनुलग्नक पी-12) को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(28) लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उद्देश्य के लए उपयुक्त रहेगा ।

अर्शबीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा